

06-08-25

पत्रावली पेश हुई। वकील ग्रार्थी या ग्रार्थी  
स्वयं उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने  
पर भी उपस्थित नहीं हुए। अतः ग्रार्थी का  
थष्ट प्रोपत्र अदम चेंदनी - अदम टाजिरी में  
इमी स्तर पर तारिज किया जाता है।  
पत्रावली बाद तशीब तकमील होकर दापिल  
रफ्तार है।

निर्णय लिखा जाकर बुले न्यायालय  
में बुनाया गया।



(सुनीलकुमार चौधन)  
RAS.